नगर निगम रोहतक की दिनांक 09.06.2014 को हुईं सामान्य बैठक की कार्यवाही रिपोंट

आज दिनांक 09.06.2014 को सांय 05:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेनू, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
4. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0-5, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
10. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
13. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
18. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
19. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। तत्पश्चात पार्षदों द्वारा एजेंडा मे वर्णित मदों पर क्रमवार चर्चा करके निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

मद संख्या	एजेंडा	निर्णय
1.	पूर्व में 19.02.2014 को सामान्य बैठक के एजेंडे में लिखित बिन्दूओं पर हुई कार्यवाही की पुष्टि करने पश्चात ही इस एजेंडे पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।	दिनांक 19.02.2014 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रति सभी पार्षदों को भेज दी गई थी। किसी भी पार्षद द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट पर आपत्ति एवं सुझाव ना देने के फलस्वरूप सदन द्वारा दिनांक 19.02.2014 को हुई बैठक की पुष्टि की गई।
2.	नगर निगम रोहतक द्वारा बिल्डिंग बाई लॉज 1982 के अनुसार जिस प्लाट को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर रखा होता है- उसके भवन प्लान को अस्वीकृत कर दिया जाता है। नगर निगम नियमित कालोनियों में निवासी द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने मकान या प्लाट का हिस्सा बेच दिया जाता है। हरियाणा म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाई लॉज 1982 के सब बाई लॉज 13-3 (a) में नगर निगम की स्वीकृति से प्लाट के एक डिवीजन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। अतः सदन यदि सहमत हो तो नगर निगम क्षेत्र में किसी भवन या प्लाट के हिस्से कर रखे हो जिनका कम-से-कम क्षेत्रफल 85 वर्ग मी0 तथा स्लम क्षेत्र, कमजोर वर्ग की कालोनियों में कम-से-कम क्षेत्रफल 50 वर्ग मी0 होना चाहिए। स्लम क्षेत्रों में अब यह क्षेत्रफल 20 से 25 वर्ग मी0 है। अतः सदन की स्वीकृति हेतु।	स्वीकृत है। सहायक नगर योजनाकार,नगर निगम, रोहतक कार्रवाई करें।
3.	नगर निगम की गत बैठक 19.2.2014 में 27 वाणिज्यिक सडको की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु कार्रवाई रिर्पोट में वाणिज्यिक सड़कों का केस सरकार को भेजने के लिए लिखा गया। वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आदेश दिनांक 16.8.2011 के अनुसार नगर निगम वाणिज्यिक सडको को स्वीकृत करने में सक्षम है। अतः सदन की स्वीकृति हेतु।	इस संदर्भ में सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम, रोहतक निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करके सदन की आगामी बैठक में रखे।

4.	सैक्टर 36-ए में दी हरियाणा को.प्रो.हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि. अपनी भूमि जिसका खसरा न. 7348 (0-8) 7357 (3-17) व 7371 (3-10) कुल रकबा 7 बिघे 15 बिसवे= 4.843 एकड़ भूमि की टी.पी. स्कीम स्वीकृत करवाना चाहते है। इनके प्रार्थना पत्र पर केस की जांच पड़ताल की गई तथा L.A.O. Urban Estate, Rohtak, DT.P. Rohtak की रिर्पोट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल व सजरा अनुसार यह भूमि अधिग्रहण से छूटी हुई है तथा विकास प्लान रोहतक 2021 के अनुसार Residential Zone में पडती है तथा मौके पर खाली है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 267 (1) के अनुसार टी.पी. स्कीम पर विचार से पूर्व प्रस्तावित भूमि को Unbuilt Area घोषित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत इस केस को नियमानुसार पाया गया। अतः इस पर विचार उपरान्त यदि अनुमति हो तो सरकार को केस हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 267 (1) के तहत Unbuilt Area घोषित करने के लिए सरकार के विचार के लिए अपनी सहमति सहित भेजने का प्रस्ताव सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम रोहतक इस संदर्भ में संक्षिप्त नोट बनाकर सभी पार्षदों को भेजें तथा केस को सदन की आगामी बैठक में रखा जाये।
5.	नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में पुराने एवं नये भवनो में विभिन्न श्रेणियो की व्यवसायिक गतिविधियो के लिए नगर निगम, रोहतक द्वारा व्यवसायिक लाईसेंस जारी करने के लिए Building Complition/Occupation Certificate के प्रावधान बारे। नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330,331,335 व 336 के आधीन नगर निगम से व्यवसायिक लाईसेंस लेना अनिवार्य है। परन्तु नगर निगम, रोहतक के गठन से पूर्व पुराने शहर व नए शहर क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान रिहायशी व व्यवसायिक भवनों में चल रहे है। पुराने भवनों मालिको के पास Building Complition/Occupation Certificate उपलब्ध नही है। किसी भी भवन को व्यवसायिक प्रयोग के लिए भवन पूर्ण/अधिकृत प्रमाण प्राप्त करना एक जरूरत है, परन्तु पुरानें भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने के लिए इस दस्तावेज को उपलब्ध करने के लिए कठिनाई होती है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए लाईसैंस जारी करने की प्रकिया सदन के विचारार्थ।	उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः- (I.) नगर निगम रोहतक में वर्ष 1975 से पूर्व के शामिल क्षेत्र में मिश्रित उपयोग के आधार पर चल रही व्यवसायिक गतिविधियों वाले भवनो से व्यवसायिक संपति शुल्क प्राप्त करके लाईसैस जारी किये जाये। (II.) वर्ष 1975 के बाद से निगम के गठन तक (दिनांक 01.04.2010) शामिल सभी नियमित क्षेत्रों में पुराने भवनों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों/ कारोबार को व्यवसायिक विकास शुल्क एवं व्यवसायिक संपत्तिकर जमा करवाने उपरांत लाईसैस जारी किये जाये। (III.) नगर निगम रोहतक के गठन उपरान्त दिनांक 01.04.2010 के पश्चात् बने नये भवनों पर व्यवसायिक स्वीकृत भवन प्लान एवं Building Complition/Occupation Certificate लेने उपरान्त व्यवसायिक सम्पत्तिकर तथा लाईसेंस फीस लेकर ही लाईसैन्स जारी किये जायें (IV.) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 में आने व्यवसायिक कम्पलैक्स, मल्टीप्लैक्स, औद्योगिक भवनों जिन्हे हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 व नगर पालिका अधिनियम,1973 के अर्न्तगत बिल्डिंग बाईलाज से सम्बन्धित विभिन्न धाराओं के नोटिस जारी किए गए है, को नोटिस की पालना किए जाने उपरान्त ही लाईसैन्स जारी किये जावें। (V.) रिहायशी क्षेत्रों में जन साधारण/निवासियों के सामान्य जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ईकाईयों को व्यवसायिक लाईसैंस/अनुमति प्रदान ना की जाये। ***(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)***

5.	अर्बन हैल्थ सैन्टर व अर्बन पी. एच. सी. भवन का निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने बारे। सिविल सर्जन रोहतक ने रोहतक शहर में अर्बन हैल्थ सैन्टर व अर्बन पी. एच. सी. भवन बनाने के लिए जगह उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। भूमि का चयन करने के लिए सिविल सर्जन द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया। गठित कमेटी ने भिवानी फाटक के पास पालिका कालोनी व कन्हैली रोड पर स्थित मारूती ड्राईविंग स्कूल के पास भूमि का चयन किया है। अतः पालिका कालोनी में खसरा नं0 1973,1974 में से अर्बन पी. एच. सी. के लिए 400 वर्गगज व कन्हैली रोड पर स्थित मारूती ड्राईविंग स्कूल के पास किला नं0 55/9 रकबा 8-0 कनाल मे से 800 वर्गगज अर्बन हैल्थ सैन्टर के लिए भूमि उपलब्ध है। अतः नगर निगम, रोहतक की पालिका कालोनी खसरा नं0 1973,1974 में से 400 वर्गगज व कन्हैली में किला नं0 55/9 मे से 800 वर्गगज भूमि अर्बन पी. एच. सी. व अर्बन हैल्थ सैन्टर के लिए मैडिकल विभाग (सिविल सर्जन रोहतक) को देने का प्रस्ताव सदन की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ताकि केस सरकार को भेजा जा सके।	स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त निम्न स्थानो पर भी शहरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/डिस्पैंसरी के निर्माण करने हेतू स्वास्थ्य विभाग को सहमति प्रदान की जाती है :- (I.) वार्ड नं0-2 में शास्त्री नगर, हिसार पुल के नीचे। (II.) वार्ड नं0-3 में बूढी माता शोरा कोठी, नेहरू कालोनी रोहतक, में नगर निगम की भूमि पर डिस्पैंसरी बनाकर संत कबीर नाम रखा जाये। (III.) वार्ड नं0 -4 - टी.बी. हस्पताल परिसर के अन्दर, गोहाना रोड, रोहतक। *(भू- अधिकारी एवं कार्यकारी अभियंता I तथा II नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)*
6.	ग्राम बोहर में हरिजनों आदि की प्लाटो की भूमि हुड्डा विभाग द्वारा अधिग्रहण करने पर उसके बदले अन्यत्र जगह भूमि देने बारे। ग्राम बोहर मेलवान पाना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वाटर वर्कस के लिए हरिजनो के प्लाटो की भूमि अधिग्रहण करने के कारण प्लाटधारक प्लाटो से वंचित हो गए है। इस बारे प्लाटधारक सरकार से बार-2 प्रार्थना कर रहे है कि उनके प्लाटो की भूमि अधिग्रहण से मुक्त कर दी जाए या उन्हे अन्यत्र जगह प्लाटो के लिए भूमि अलाट की जाए। प्रशासक हुड्डा ने दिनांक 28.02.2014 को सूचित किया है कि इस विभाग द्वारा इन प्लाटधारको को प्रस्तावित वाटर वर्कस के साथ 4 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जा सकती है तथा वाटर वर्कस के साथ लगती नगर निगम की 6 एकड़ भूमि इन प्लाटधारको को देने की प्रस्तावना व सहमति हुड्डा विभाग द्वारा मांगी गई है। अतः नगर निगम, रोहतक की किला नं0 91//20, 92//17/1 मिन, 16 मिन, 23, 25 मिन, 104//3,4 किते 8 रकबा 49-0 कनाल भूमि देने का प्रस्ताव सदन की बैठक में पास करवा करके स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा जाना उचित होगा।	स्वीकृत है। *(भू- अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)*

7.	गाँव गढ़ी बोहर में कुम्हारान समाज के लिए चौपाल/सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि देने बारे। गांव गढ़ी बोहर के कुम्हारान समाज ने प्रार्थना की है कि हमारे समाज के लिए गांव में कोई भी चौपाल/सामुदायिक केन्द्र नही है, जिस कारण यह समाज इस लाभ से वंचित है। ग्राम गढ़ी बोहर में नगर निगम की किला नं0 261/21 में 1000 वर्गगज भूमि पशु हस्पताल के साथ उपलब्ध है। अतः किला नं0 261/21 रकबा 8-0 कनाल मे से केवल 1000 वर्गगज भूमि कुम्हारान समाज के लिए चौपाल बनाने हेतु निर्धारित की जानी उचित होगी। अतः कुम्हारान समाज की मांग को मध्य नजर रखते हुए कुम्हारान समाज को चौपाल बनाने के लिए 1000 वर्गगज भूमि देने की बजाए नगर निगम द्वारा ही नगर निगम की भूमि किला नं0 261//21 रकबा 8-0 कनाल मे से 1000 वर्गगज भूमि पर चौपाल/सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित केस सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	स्वीकृत है। *(कार्यकारी अभियंता- I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)*
8.	नगर निगम क्षेत्र में वित्त एवं संविदा समिति (F&CC) द्वारा पारित प्रांकलन सदन के सूचनार्थ प्रस्तुत है। सूची निम्नानुसार है:-	सदन को सूचित किया गया।

Resolution Number & Date	Name of Work	Amount (Rs)
9/ 19-02-2014	Const. of metalled road in various streets in Sheetal Nagar Near Shivaji Colony Thana Jhajjar Road, Ward No. 19, Rohtak.	81.78Lacs
10/ 19-02-2014	Const. of Big Sport Stadium at Village SunariaKalan, Khurd, Ward No. 20, Rohtak.	175.30Lacs
11/ 19-02-2014	Construction of Community Centre in Sheetal Nagar, Vijay Nagar, Ekta Colony, Chhotu Ram Colony, Rajeev Nagar, PreetVihar, Kamla Nagar, Ward No. 18 and 19, Rohtak.	144.75Lacs
12/ 19-02-2014	Constructing Shed, Boundary Wall and Barbed Wire Fencing around Land of ShamshanGhat in the Area of Ekta Colony, Sheetal Nagar, Vijay Nagar, Ambedkar Colony and Rajeev Nagar, Ward No. 18 & 19, Rohtak.	82.00Lacs
13/ 19-02-2014	Construction of Roads with C.C. Pavement and sides berms with 80 mm thick interlocking vibrated tiles in Sainik Colony (Road No. 1, 3 & 4 (i),) Ward No. 16, Rohtak.	96.26 Lacs
14/ 19-02-2014	Construction of Roads with 80mm thick interlocking vibrated tiles in Sainik Colony (Road No. 2, 4 (ii) 5, 6, 7, 8 & 9) Ward No. 16, Rohtak.	97.23 Lacs
15/21-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh	1988752/-

		International,Social Service Organization at Jhajjar Road Under bridge Rohtak, 2 set (Ladies & Gents)	
	16/21-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization Under Hissar ROB Shyam Colony, W.no. 2 = 2 set (Ladies & Gents)	1988752/-
	17/21-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Main Park in DLF colony, W.No. 12 = 2 set (Ladies & Gents)	450000/-
	18/21-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Park near community Centre in Gandhi camp, W.no. 12 = 2 set (Ladies & Gents)	779406/-
	19/21-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Outer Quilla Road, W.No. 14 = 2 set (Ladies & Gents)	1988752/-
	20/21-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Old Bus Stand Rohtak	1988752/-
	21/21-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Jagdish Colony Park - 2 Seat+ 4 urinal	450000/-
	22/26-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Harijan Basti Farain Pana Baliyana W.No. 8 = 2 set (Ladies & Gents)	958026/-
	23/26-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Balmiki Basti Bohar wala Rasta Baliyana W.no. 8 = 2 set (Ladies & Gents)	958026/-
	24/26-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Village Sunariya kalan 1= 2 set (Ladies & Gents)	958026/-
	25/26-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Village Sunariya Khurd 1 = 2 set (Ladies & Gents)	958026/-
	26/26-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Village Kanheli = 2 set (Ladies & Gents)	958026/-
	27/26-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Harijan Basti, village Kanheli = 2 set (Ladies & Gents)	958026/-
	28/26-02-2014	Construction of Public Toilet through M/s Sulabh International,Social Service Organization at Village Pahrawar = 2 set (Ladies & Gents)	958026/-
	29/21-02-2014	Development of Park Near Animal Hospital in village Bohar, Ward No. 7, Rohtak.	96.00 Lacs
	30/02-06-2014	P & F Interlocking paver block (Vibrated) in InderPrasth	62.91 Lacs

	Colony, W.no. 6, Rohtak	
30/02-06-2014	Const. of Internal Streets in Surya Nagar Part-II, W.no.1, Rohtak	78.48 Lacs
30/02-06-2014	Const. of Internal Streets in Rajiv nagar, W.no.3 & 4 Rohtak	221.31 Lacs
30/02-06-2014	Const. of Internal Streets in Barsi Nagar, W.no.1 & 3 Rohtak	106.57 Lacs
30/02-06-2014	Const. of Internal Streets in Nehru Colony, W.no. 1, Rohtak	97.94 Lacs
30/02-06-2014	Const. of Internal Streets in Friends Colony, W.no. 7, Rohtak	84.85 Lacs
30/02-06-2014	Const. of Internal Streets in AsthalBohar Colony, W.no. 7, Rohtak	72.35 Lacs
30/02-06-2014	Const. of Internal Streets in Shastri Nagar, W.no. 2, Rohtak	125.91 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in Chhotu Ram Colony, Ward No. 18, Rohtak.	77.69 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Community Centre at Village Sunaria Khurd Ward No. 20 under Municipal Corporation, Rohtak.	144.75 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Community Centre (Kabir Dharmashalla) at Village Sunaria Kalan Ward No. 20 under Municipal Corporation, Rohtak.	55.64 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Community Centre at Pana Mehtaan, Village Sunaria, Ward No. 20 under Municipal Corporation, Rohtak.	61.25 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Community Centre at Village Sunaria Kalan Ward No. 20 under Municipal Corporation, Rohtak.	144.75 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Press Club Hall and Rooms at Rohtak	162.19 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in J.P Colony, Ward No. 16, Rohtak	240.08 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in Sher Vihar Colony, Ward No. 16, Rohtak	147.29 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in Basti Kutana, Part-I,II,III, Ward No. 16, Rohtak	91.42 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in New Vijay Nagar, Ward No. 19, Rohtak	165.92 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in Sheetal Nagar, Ward No. 19, Rohtak	239.68 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in Ajit Colony, Ward No. 20, Rohtak	102.56 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in Amrit Colon Part-I, Ward No. 20, Rohtak.	133.61 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Internal Streets in Ram Nagar, Ward No. 20, Rohtak	93.48 Lacs
31/04-06-2014	Const. of Big Sports Stadium at Village Pehrawar under Municipal Corporation, Rohtak.	175.30 Lacs
32/04-06-2014	Cost. of Bhagwan Balmiki community center at Bohar wala Rasta, Village Baliyana, Rohtak.	55.75 Lacs
32/04-06-2014	Construction of community center near Mata Darwaja pond, Rohtak (Haryana)	156.00 Lacs
32/04-06-2014	Construction of Dada vishada Community Center at Village	50.85 Lacs

	32/04-06-2014 — Baliyana, Rohtak. (Civil Works) Construction of Community Center in Dhanak Chaupal at Village Baliyana, Rohtak. (Civil Works) — 55.60 Lacs	
9.	एजेंडा में वर्णित सभी बिन्दूओं पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोद्या की अनुमति से निम्नलिखित मदो को प्रस्तुत किया गयाः-	
	(i)सलारा मोहल्ला में प्राईमरी स्कूल का भवन बनाने बारे।	(i) सलारा मोहल्ला में जनहित में नगर निगम की खसरा नं0 6807,6808 कुल रकबा 9 कनाल 15 मरले मे से 4-0 कनाल भूमि पर नगर निगम फंड से प्राईमरी स्कूल का भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यकारी अभियंता-। दिनांक 30.07.2014 से पूर्व टैण्डर लगाकर निर्माण आरम्भ करवाना सुनिश्चित करें। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(ii)पार्षदों को टोल प्लाजा में छूट देने बारे।	(ii) पार्षदों को टोल टैक्स (Transit Tax) में छूट देने के लिए हरियाणा सरकार को केस भेजा जाये। *(कार्यालय अधीक्षक नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(iii) पार्षद वार्ड नं0 14 ने सदन को अवगत करवाया कि मेयर नगर निगम ने केवल अपने वार्ड में वाटर कूलर लगवाने बारे कार्रवाई की है। जनहित में सभी वार्डो में सार्वजनिक स्थलो पर वाटर कूलर लगाए जाएं।	(iii) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम रोहतक के सभी वार्डो में नगर निगम फंड से पार्षद द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थल पर वाटर कूलर लगवाने हेतू स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस वाटर कूलर का बिजली बिल एवं रख रखाव पार्षद द्वारा करवाया जाऐगा। *(कार्यकारी अभियंता-I तथा II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(iv)शास्त्री नगर में स्कूल के कमरे बनाने बारे।	(iv) वार्ड नं0 2 पार्षदा की प्रस्तावना अनुसार शास्त्री नगर स्कूल में नगर निगम फंड से कमरे का निर्माण करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यकारी अभियंता-। दिनांक 30.07.2014 से पूर्व टैण्डर लगाकर निर्माण आरम्भ करवाना सुनिश्चित करें। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(v)जगदीश कालोनी के नेहरा पार्क का नाम राजीव पार्क रखने बारे।	(v) वार्ड नं0 16 के पार्षद की प्रस्तावना अनुसार जगदीश कालोनी के नेहरा पार्क का नाम राजीव पार्क रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। *(कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(vi)वार्ड 13 के पार्षद ने अनुरोध किया कि सांईदास कालोनी, अशोक नगर, भगतसिंह कालोनी,संजय नगर, सैनी कालोनी में पानी की समस्या के निदान हेतू प्रेमनगर चौक पर स्थित पार्क में बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाये।	(vi) स्वीकार है। प्रेमनगर चौक पर स्थित पार्क की भूमि पर बूस्टिंग स्टेशन बनाने हेतू स्वीकृति प्रदान की जाती है। अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इस बारे शीघ्र कार्रवाई करें। *(अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , कार्यकारी अभियंता-I, तथा भू अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(vii)गलियों में सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के गेट लगाने बारे।	(vii) नगर निगम रोहतक क्षेत्र में स्थित गलियों में लोहे के गेट लगाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नीति को अपनाया (Adopt) किया जाता है। *(कार्यकारी अभियंता-I तथा II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(viii)जगदीश कालोनी के रोड का नाम प्रभुतानंद मार्ग रखने बारे।	(viii) वार्ड नं0 12 के पार्षद की प्रस्तावना अनुसार जगदीश कालोनी में अनिल गिरधर के मकान से आर.के.खनगवाल के मकान तक सड़क का नाम प्रभुतानंद मार्ग रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। *(कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(ix) चिन्योट कालोनी विजय पार्क का नाम अमित मिगलानी पार्क रखने बारे।	(ix) वार्ड नं0 12 के पार्षद की प्रस्तावना अनुसार चिन्योट कालोनी विजय पार्क का नाम अमित मिगलानी पार्क रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। *(कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(x) वार्ड नं0 12 के पार्षद की प्रस्तावना अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक खजाना कार्यालय रोहतक के सामने सिविल लाईन सड़क का स्व0 मेजर जनरल जंग शमशेर सिंह नामकरण तथा साईन बोर्ड लगवाने बारे।	(x) स्वीकार है। *(कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(xi)शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हेतू वर्तमान ठेकेदारों के माध्यम से 353 कर्मचारी आबादी अनुसार लगाने बारे।	(xi) शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हेतू वर्तमान ठेकेदारों के माध्यम से सरकार की नवीनतम हिदायतों के अनुसार 353 कर्मचारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठेका आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश की सुविधा भी दी जाये। इस अवकाश अवधि दौरान सफाई व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतू भी कर्मचारियों की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रंबधन और हैंडलिंग)नियम, 2000 अनुसार पूरे नगर निगम क्षेत्र में घर-घर से कूडा एकत्रित करते हुए कूडा लिफिटिंग हेतू वाहन एवं उपकरण आदि नगर निगम फंड से खरीद करने बारे नियमानुसार कार्रवाई की जाये ताकि 24X7 फार्मूले अनुसार जनहित में शहर को पूर्ण सफाई की सुविधा प्रदान की जा सके। इस योजना को लागू करने हेतू नगर निगम द्वारा प्रथम चरण में Solid Waste Management Grant के अर्न्तगत पांच टाटा ऐस (Tata Ace) खरीद कर बतौर पायलट आरम्भ किया जाये। *(वरिष्ठ/मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(xii)अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग(भवन व सडकें) ने अपने पत्र क्रमांक 1160 दिनांक09.06.2014 द्वारा लिखा है कि हाउसिंग बोर्ड से कन्हेली गांव को जाने वाली लगभग 2.5 किलोमीटर सडक नगर निगम रोहतक को हस्तांतरित जाती है तथा इसकी Upgradation एवं रख-रखाव नगर निगम, रोहतक द्वारा किया जाये	(xii) स्वीकार है। इस सडक का नगर निगम फंड से निर्माण अधीक्षक अभियन्ता, नगर निगम, रोहतक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। *(अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(xiii)पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मेडिकल सुविधा देने बारे।	(xiii) स्वीकार है। पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मेडिकल सुविधा देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। *(कार्यालय अधीक्षक नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(xiv)नगर निगम द्वारा पार्को में पूर्व में लगाये झूलों की गुणवत्ता जांच एवं नये झूले लगाये जाने बारे।	(xiv) नगर निगम द्वारा पार्को में लगाये झूलो की गुणवत्ता जांच हेतू वार्ड नं0 1, 12 तथा 15 के पार्षदों तथा अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक की समिति गठित की जाती है। यह समिति दिनांक 30.06.2014 तक जांच करके रिपोर्ट करेगी। इसके अतिरिक्त यह कमेटी सभी वार्ड पार्षदों से झूलों की आवश्यकता लेकर नए मापदंड निर्धारित करके टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण करके दिनांक 30.07.2014 से पूर्व झूले लगवाना भी सुनिश्चित करेगी। *(पार्षद वार्ड नं0 1, 12, 15 तथा अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(xv)वर्कस कमेटी नगर निगम की राशी से अन्य विभागों द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतू।	(xv) निगम की राशी से अन्य विभागों तथा निगम द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यो की वित्त एवं संविदा समिति (F&CC) नगर निगम, रोहतक द्वारा गुणवत्ता जांच करवाने का निर्णय लिया गया। दोनों कार्यकारी अभियंताओं को सभी निर्माण कार्यो की सूचि तुरन्त इस कमेंटी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। *(F&CC, नगर निगम कार्यकारी अभियंता-। तथा ।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(xvi) पार्षद वार्ड नं0 1 अनुरोध किया कि संजय कालोनी में उपलब्ध कुष्ठ आश्रम वाली भूमि में से 2.5 एकड जमीन को पार्क के रूप में विकसित किया जाये।	(xvi) स्वीकार है। कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक इस भूमि में नगर निगम के खर्चे पर पार्क विकसित करने के लिए उपायुक्त, रोहतक को लिखें। *(कार्यकारी अभियंता-। तथा भू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
10.	**इसके पश्चात निम्नबिन्दूओ पर पार्षदों द्वारा दी गई प्रस्तावना अनुसार कार्रवाई की गई:-**	
	<u>वार्ड नं0-1 :- (श्री राजबीर सैनी, पार्षद)</u> (I.) हिसार रोड पर पुल के नीचे पानी निकासी का प्रबन्ध करते समय टूटी हुई सडक को ठीक करवाया जाये।	(I.) कार्यकारी अभियंता (सीवर) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शीघ्र पानी निकासी का समुचित प्रबंध करते हुए सडक की मुरम्मत करवाने के भी आदेश दिये गये। *(कार्यकारी अभियंता (सीवर) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)*
	(II.) पैंशन वितरण की समस्या को दूर करने बारे।	(II.) पैंशन वितरण के कार्य को समय पर सुचारू रूप से करने हेतू क्षेत्रीय कराधान अधिकारी संयुक्त आयुक्त नगर निगम, रोहतक की अध्यक्षता में सभी पार्षदों के साथ बैठक करवाकर मामले का निपटान करवाये ताकि आगामी माह का पैंशन वितरण का कार्य ठीक ढंग से किया जा सके। *(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)*
	<u>वार्ड नं0-2 :- (श्रीमति ममता रानी, पार्षद)</u> (I.) कचरा उठाने के लिए रेहडियों का प्रबंध करने बारे।	(I.) कार्यकारी अभियंता-II ने बताया कि इस कार्य के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों अनुसार रेहडी के नये मापदंड तय किये जाने है। आयुक्त ने निर्देश दिये कि कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक मापदंड निर्धारित करवाकर दिनांक 20.06.2014 से पूर्व टैण्डर लगाना सुनिश्चित करें। *(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(II.) गढी मोहल्ले में सीवर लाईन बिछाने बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि गढी मोहल्ले में सीवर लाईन बिछाने का कार्य दिनांक 30.06.2014 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। *(कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) नरेन्द्र महेन्द्रा स्कूल के नजदीक टूटी सडकों व गड्ढों की मुरम्मत बारे।	(III.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम रोहतक ने बताया कि इस कार्य का अनुमान मुख्य अभियंता नगर निगम गुडगावं को भिजवा दिया गया है। अनुमान की स्वीकृति उपरांत शीघ्र कार्रवाई की जायेगी। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(IV.) शमशान घाट की भूमि से कब्जा हटवाने बारे।	(IV.) भू- अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को राजस्व विभाग से निशानदेही लेकर शमशान घाट की भूमि से दिनांक 20.06.2014 तक अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिये। *(भू- अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(V.) गढी मोहल्लें में स्थित सामुदायिक केन्द्र की मुरम्मत करवाकर आंगनबाडी के संचालन बारे।	(V.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि इस सामुदायिक केन्द्र में जल भराव के कारण भवन की हालत जर्जर हो गई है। इसमे सामूदायिक केन्द्र का नवनिर्माण करवाया जाना आवश्यक है। यह निर्माण कार्य एक माह में प्रारंभ कर दिया जायेगा। सदन द्वारा इसमें आंगनवाडी संचालित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(VI.) सीवरों के ढक्कन लगाने के कार्य मे देरी बारे।	(VI.) कार्यकारी अभियंता (सीवर) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सीवर के ढक्कन लगवाने हेतू ठेकेदार के माध्यम से पर्याप्त संख्या में कर्मचारी लगाने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-3 :- (श्रीमति सुशीला इन्दौरा, पार्षद)</u> (I.) वार्ड नं0 3 में विकास कार्य प्रारंभ करने बारे।	(I.) कार्यकारी अभियंता -I, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि सरकार द्वारा नियमित 34 कालोनियों में से इस वार्ड में आने वाली सभी कालोनियों में किये जाने वाले विकास कार्यो का अनुमान तैयार कर लिये गये है तथा दिनांक 30.07.2014 तक मौके पर कार्य आरम्भ कर दिये जायेंगे। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(II.) गढी मोहल्ले में खुले नाले/नालियों की मुरम्मत/निर्माण एवं स्लैब लगवाने बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता -I, नगर निगम, रोहतक ने बताया गढी मोहल्ले में खुले नाले/नालियों के निर्माण एवं उनपर स्लैब लगवाने हेतू टैण्डर लगा दिया गया है। *(कार्यकारी अभियंता- I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	वार्ड नं0-4 :- (श्रीमति रेनू, पार्षद एवं मेयर)	
	(I.) मेयर, वरिष्ठ मेयर तथा उपमेयर के कार्यालय को नगर निगम, रोहतक के मुख्य कार्यालय भवन परिसर में हस्तांतरित करने बारे।	(I.) आयुक्त ने बताया कि सैक्टर 31 में नगर निगम रोहतक के कार्यालय बनाने के लिए हुडा विभाग से भूमि उपलब्ध हो चुकी है। नया भवन बनाने के लिए माह अगस्त 2014 से कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। इस भवन में नगर निगम की सभी शाखाएं एक ही छत के नीचे कार्य करेंगी। *(अधीक्षक अभियंता , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(II.) गउशाला बनाने के लिए कार्य प्रारंभ न होना।	(II.) अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक को गठित कमेटी की रिपोर्ट पर नियमानुसार गउशाला बनाने हेतू दिनांक 20.06.2014 तक प्रस्तावना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। *(अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) कच्चा चमारियां रोड, राजीव नगर जोगी वाली धर्मशाला क्षेत्र में पानी एवं सीवर की व्यवस्था बारे।	(III.) कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा नियमित की गई सभी 34 कालोनियो में पानी एवं सीवर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनुमान सरकार को भेजा जा चुका है। स्वीकृति आने पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। *(अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(IV.) फतेहपुरी कालोनी में विकास कार्य प्रारम्भ न होने बारे।	(IV.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि इस कार्य का अनुमान तैयार किया जा चुका है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा। *(कार्यकारी अभियंता- I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	<u>वार्ड नं0-5 :- (श्री सूरजमल, पार्षद)</u>	
	(I.) प्रेम नगर, लक्ष्मी नगर तथा विकास नगर की गलियों में स्पीड ब्रेकर लगवाने बारे।	(I.) एस.डी.एम. रोहतक की अध्यक्षता मे गठित कमेटी से स्वीकृत सभी स्थानो पर सात दिन के अन्दर-2 स्पीड ब्रेकर लगवाने हेतू कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(II.) लाढोत रोड पर सीवर एवं गली पक्की करवाने बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि इस कार्य हेतू दिनांक 20.06.2014 को टैण्डर खोले जायेगे। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) शास्त्री नगर, आजाद नगर एवं ऋषि नगर में किए जाने वाले विकास कार्यो बारे।	(III.) कार्यकारी अभियंता-I ने बताया कि शास्त्री नगर, आजाद नगर एवं ऋषि नगर में आरम्भ सभी विकास कार्यो को शीघ्र पूरा करवा दिया जायेगा। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(IV.) उत्तम नगर में बिजली के खंभे एवं तार लगाने बारे।	(IV.) इस बारे अधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बताया कि अनुमान की स्वीकृति उपरान्त कार्य करवा दिया जायेगा। *(अधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमद्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(V.) शीला बाई पास से हटाए गए बस क्यू शैल्टर को दौबारा लगाने बारे।	(V.) शीला बाई पास से हटाए गए बस क्यू शैल्टर को आवश्यकतानुसार उचित स्थान पर लगाने के लिए कार्यकारी अभियंता-I, निगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-6 :- (श्रीमति मंजू हुड्डा पार्षद एवं वरिष्ठ उप-मेंयर)</u>	
	(I.) पिछली बैठक में दिये गये विकास कार्यो की सूचि पर कार्य करने बारे।	(I.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक को पिछली बैठक में दिये गये विकास कार्यो की सूचि पर तिथिबद्ध तौर पर शीघ्र अति शीघ्र कार्य करने बारे निर्देश दिये गये। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-7 :- (श्रीमति सरिता पार्षद)</u>	
	(I.) बोहर में स्थित स्टेडियम को चलाने बारे।	(I.) आयुक्त ने कार्यकारी अभियंता-I तथा II, नगर निगम, रोहतक को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम चलाने हेतू निर्धारित अनुमान अनुसार अपनी-2 डिविजनों में शीघ्र कार्य करवाने बारे निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-I तथा II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(II.) इस वार्ड में आने वाली ग्राम पंचायतो की जमीन की मल्कीयत नगर निगम के नाम करवाने बारे।	(II.) नगर निगम, रोहतक मे शामिल सभी ग्राम पंचायतो की जमीन की मलकीयत नगर निगम के नाम तथा नगर निगम की भूमि में दर्ज गैर मरूशियों को हटाने हेतू सम्बन्धित तहसीलदार के न्यायालय में केस दायर करने के लिए भू-अधिकारी को निर्देश दिये। यह कार्य हर अवस्था में दिनांक 30.06.2014 तक पूर्ण किया जाये। *(भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) नगर निगम सम्पत्ति पर अवैध कब्जे हटवाने बारे।	(III.) गांव बोहर, बलियाणा तथा सुनारियां मे नगर निगम की भूमि से अवैध कब्जे हटवाने के लिए भू-अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये। यह कार्य हर अवस्था में दिनांक 30.06.2014 तक पूर्ण कर लिया जाये। *(भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-8 :- (श्रीमति उपासना, पार्षद)</u> (I.) राजीव आवास योजना के तहत खेडी साध, पहरावर, बलियाणा गांव के कुछ पात्रों लाभ न मिलने बारे।	(I.) नगर निगम क्षेत्र में राजीव आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने बारे कार्यकारी अभियंता(RAY)नगर निगम रोहतक को दिनांक 07.07.2014 तक सर्वे करके रिपार्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता (RAY) नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(II.) रिंग बांध की रिपेयर एंव स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक को इस कार्य के लिए टैण्डर आमत्रित करने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) वार्ड मे स्थित चार सामूदायिक केन्द्रों के मुरम्मत का कार्य प्रारंभ न करने बारे।	(III.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि इस कार्य का अनुमान मुख्य अभियंता गुडगांव को स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है। स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत शीघ्र कार्रवाई की जायेगी। *(कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(IV.) गांव खेडी साध में बिजली के खंभे लगवाने बारे।	(IV.) पार्षद द्वारा खेडी साध गांव में बिजली के खंभे लगवाने के लिए स्थान चिन्हित करके बिजली विभाग को दें ताकि कार्रवाई की जा सके। *(पार्षद वार्ड नं0 8 एवंअधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमद्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(V.) गउघाट की रिर्टनिंग वाल व कन्हेली गांव में चौपाल की मुरम्मत करने बारे।	(V.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक को गउघाट की रिर्टनिंग वाल व कन्हेली गांव में चौपाल की मुरम्मत के लिए निर्देश दिये गये। ***(कार्यकारी अभियंता-I , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(VI.) विकास कार्यो की दी गई सूचि पर कार्य करने बारे।	(VI.) कार्यकारी अभियंता-I, नगर निगम, रोहतक को सूचि में दर्शाये गए कार्यो के लिए 20.07.2014 तक अनुमान तैयार करने एवं कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये। ***(कार्यकारी अभियंता-I , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	<u>वार्ड नं0-9 :- (श्री बलराज, पार्षद)</u> (I.) पिछली बैठक में दिये गये विकास कार्यो की सूचि पर शीघ्र कार्रवाई करने बारे।	(I.) संयुक्त आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा संबधित अधिकारियों की उपस्थिति में पार्षद वार्ड नं0 9 से दिनांक 11.06.2014 को 12:00 बजे विशेष बैठक की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये। ***(संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	<u>वार्ड नं0-10 :- (श्री अशोक, पार्षद)</u> (I.) विकास कार्यो की सूचि पर शीघ्र कार्रवाई करने बारे।	(I.) वार्ड पार्षद को अनुरोध किया कि करवाये जाने वाले सभी विकास कार्यो की क्षेत्रीय कराधान अधिकारी -कम- नोडल आफिसर को सूचि दें ताकि समय सीमा निर्धारित करके कार्य प्रारम्भ करवाया जा सके। ***(पार्षद वार्ड नं0 10 एवं क्षेत्रीय कराधान अधिकारी -कम- नोडल आफिसरद्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(II.) आदर्श नगर मे दूषित पेयजल सप्लाई बारे।	(II.) अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इस बारे जांच करके उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। ***(अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(III.) गांधी कैम्प में नालों की समस्या का समाधान करने बारे।	(III.) अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि वार्ड नं0 10 तथा 11 में आने वाले गांधी नगर के नालों की समस्या के समाधान हेतू अनुमान तैयार कर लिया गया है। शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। ***(अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)***

	वार्ड नं0-11 :- (श्रीमति अनिता मिगलानी, पार्षद)	
	(I.) डी.एल.एफ. कालोनी में सुरक्षा गेट लगवाने बारे।	(I.) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई नीति अनुसार कार्रवाई की जाये। ***(कार्यकारी अभियंता-।। , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(II.) वार्ड-11 मे पडे खाली प्लाटों की सफाई बारे।	(II.) सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से पार्षद से सम्पर्क करके उनके द्वारा बताये जाने वाले सभी खाली प्लाटो की जे.सी.बी. मशीन किराये पर लगाकर सफाई करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये। यह कार्य हर अवस्था में दिनांक 20.06.2014 से पूर्व करवा लिया जाये। ***(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(III.) हाई मास्क लाईट लगवाने बारे।	(III.) हाई मास्क लाईट लगवाने हेतू एक माह का समय निर्धारित करते हुए सहायक अभियंता (बिजली) को कार्य करवाने हेतू निर्देश दिये गये। ***(सहायक अभियंता (बिजली) नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(IV.) जवाहर नगर गांधी कैम्प में खुले नालों को ढकने बारे।	(IV.) अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वार्ड नं0 10 तथा 11 में आने वाले गांधी कैम्प के नालों की समस्या के समाधान हेतू अनुमान तैयार कर लिया गया है। शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। ***(अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	वार्ड नं0-12 :- (श्री गुलशन ईशपुनियानी, पार्षद)	
	(I.) स्पीड ब्रेकर लगाने बारे।	(I.) एस.डी.एम. रोहतक की अध्यक्षता मे गठित कमेटी से स्वीकृत सभी स्थानो पर सात दिन के अन्दर-2 स्पीड ब्रेकर लगवाने हेतू कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये। ***(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(II.) घनीपुरा चौक एवं रामनगर में बरसाती पानी की निकासी बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य को घनीपुरा चौक एवं रामनगर में बरसाती पानी की निकासी बारे उचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिये। ***(कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)***

	(III.) पुरानी आई.टी.आई. के क्षतिग्रस्त सीवर लाईन की मुरम्मत करना। (IV.) वार्ड के विकास कार्यो को शुरू करवाने बारे। (V.) प्रताप नगर मे सामूहिक उपयोग हेतू नगर निगम चौक को पक्का करने बारे।	(III.) पुरानी आई.टी.आई. के क्षतिग्रस्त सीवर लाईन की मुरम्मत करने हेतू कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य को निर्देश दिये गये। *(कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)* (IV.) कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को वार्ड में सभी विकास कार्यो को दिनांक 15.07.2014 तक शुरू करने के निर्देश दिये गये। *(कार्यकारी अभियंता-।। , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)* (V.) स्वीकार है। *(कार्यकारी अभियंता-।। , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-13 :- (श्री संजय सैनी, पार्षद)</u> (I.) सैनिक स्कूल रोड सुखपुरा चौंक पर स्पीड ब्रेकर लगाने बारे। (II.) क्षेत्र में टूटी हुई सडक एंव सफाई व्यवस्था बारे।	(I.) एस.डी.एम. रोहतक की अध्यक्षता मे गठित कमेटी से स्वीकृत सभी स्थानो पर सात दिन के अन्दर-2 स्पीड ब्रेकर लगवाने हेतू कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)* (II.) क्षेत्र में टूटी हुई सडक एंव सफाई व्यवस्था के हेतू पार्षद द्वारा लिखित में दिये जाने पर कार्रवाई संभव है। *(कार्यकारी अभियंता-।। एवं मुख्य /वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-15 :- (श्री अजय जैन पार्षद)</u> (I.) RWA को दिये गये पार्को का रख-रखाव उचित प्रकार से न करने बारे।	(I.) हुडा विभाग द्वारा निर्मित राधे-2 पार्क के रख-रखाव हेतू नियुक्त RWA से पार्क के रख-रखाव का ठीक ढंग से कार्रवाई नही की जा रही है। कार्यकारी तथा सहायक अभियंता (बागवानी), हुडा को पार्क मे विशेष मुरम्मत, ट्रैक, लाईट, गेट आदि का कार्य करने के भी निर्देश दिये। इस सन्दर्भ में आगामी बैठक में पालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाये। *(कार्यकारी अभियंता (बागवानी), हुडा, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(II.) हुडा कम्पलैक्स के रख-रखाव बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता, हुडा को हुडा कम्पलेक्स की अच्छे ढंग से रख-रखाव करने के निर्देश दिये गये। *(कार्यकारी अभियंता , हुडा, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) सुलभ शौचालय का निर्माण करने बारे।	(III.) सुलभ शौचालय के निर्माण हेतू कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक को 7 दिन के अन्दर-2 पार्षद के साथ दौरा करके स्थान चिन्हित करने उपरान्त मै0 सुलभ इन्टरनेशनल के माध्यम से दिनांक 30.06.2014 तक निर्माण आरम्भ करवाने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-II , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(IV.) वार्ड मे पार्क विकसित करने बारे।	(IV.) वार्ड में पार्क विकसित करने बारे कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक को पार्षद के साथ निरीक्षण करके 7 दिन के अन्दर-2 प्रस्तावना देने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(V.) इंदिरा मार्केट के ड्रेन पर चल रहे कार्य में देरी बारे।	(V.) अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक को वार्ड पार्षद के साथ इंदिरा मार्केट मे बन रही पुलिया के कार्य की दिनांक 30.06.2014 तक जांच करने के निर्देश दिये *(अधीक्षक अभियंता , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(VI.) कच्चा बेरी रोड पर डेयरी मालिको द्वारा सीवर में गोबर आदि डालने बारे।	(VI.) संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थय (अभियांत्रिकी) विभाग के साथ दिनांक 20.06.2014 तक बैठक करके समस्या का समाधान करवाएं। *(संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(VII.) माता दरवाजा पार्क का निर्माण।	(VII.) कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक को हर अवस्था में दिनांक 20.06.2014 से पूर्व इस कार्य को आरम्भ करने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	VIII.) शोरी मार्किट हेतू हुडा विभाग की भूमि से रास्ता देने बारे।	VIII.) इस संदर्भ मे वार्ड पार्षद द्वारा प्रशासक हुडा, रोहतक को लिखित आवेदन दिया जाये। *(पार्षद वार्ड नं0 15 द्वारा कार्रवाई की जानी है।)*

	वार्ड नं0-16 :- (श्री अशोक, पार्षद एवं उपमेयर)	
	(I.) वार्ड के सामूदायिक केन्द्रो एवं पार्को के सौन्दर्यकरण एवं रख-रखाव बारे।	(I.) कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को वार्ड नं0 16 के सामूदायिक केन्द्रो एवं पार्को के सौन्दर्यकरण एवं रख-रखाव करवाने हेतू निर्देश दिये गये। ***(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(II.) कुताना गांव में विकास कार्य करवाने, कन्हेली डेयरी परिसर एवं भिवानी रोड पर पालिका कालोनी का विकास करने हेतू।	(II.) कुताना गांव के क्षेत्र को नियमित करवाने, कन्हेली डेयरी परिसर एवं पालिका कालोनी को विकसित करने बारे संयुक्त आयुक्त तथा अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक को दिनांक 20.06.2014 तक मौके का निरीक्षण करने उपरांत कार्रवाई करने बारे कहा गया। ***(संयुक्त आयुक्त एवं अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(III.) भिवानी रोड से पुराना शुगरमिल तक सरकुलर रोड पर रिलाईंस कपंनी द्वारा क्षति ग्रस्त नाले की मुरम्मत करने बारे।	(III.) भिवानी रोड से पुराना शुगरमिल तक सरकुलर रोड पर रिलाईंस कपंनी द्वारा क्षति ग्रस्त नाले की मुरम्मत करने हेतू कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये। ***(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(IV.) सामूदायिक केन्द्र की जर्जर हालत की सुधार बारे।	(IV.) सामुदायिक केन्द्र की जर्जर हालत की सुधार हेतू पार्षद द्वारा लिखित रूप में दिये जाने पर कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को उचित कार्रवाई के निर्देश दिये। ***(पार्षद वार्ड नं0 16 तथा कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(V.) शुगरमिल कालोनी मकानों के सामने पडी खाली भूमि मकान मालिको को बेचने बारे।	(V.) सहायक नगर योजनाकार ने बताया कि शुगरमिल कालोनी श्रम विभाग द्वारा विकसित की गई थी। आयुक्त द्वारा सहायक नगर योजनाकार को निरीक्षण करके प्रस्तावना देने बारे निर्देश दिये। ***(सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(VI.) मुख्य चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने बारे।	(VI.) सहायक अभियंता (विधुत) नगर निगम रोहतक को डी.आई.ओ. के साथ मिलकर पुलिस विभाग की सिफारिश अनुसार शहर के मुख्य चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के कार्य हेतू दिनांक 20.06.2014 तक टैण्डर लगाने के निर्देश दिये। यह कार्य हर अवस्था में दिनांक 15.07.2014 तक पूर्व करवाया जाये। ***(सहायक अभियंता (विधुत) नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(VII.) शहर के सीवर सफाई व्यवस्था बारे।	(VII.) कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि शहर के सीवर सफाई का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। यह कार्य दिनांक 30.06.2014 तक पूरा कर दिया जायेगा ***(कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)***

	VIII.) सुनारियां चौक पर गड्ढो की मुरम्मत बारे।	VIII.) कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि पाईप डाले जा चुके है। अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सडकें) को गड्ढों मुरम्मत का कार्य करवाने हेतु निर्देश दिये। *(अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सडकें) द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-17 :- (श्री जयकिशन, पार्षद)</u> (I.) सडक मुरम्मत के कार्य में विलम्ब बारे। (II.) सफाई कर्मचारियों द्वारा जल्दी छुट्टी करने एवं बन्दर पकडवाने बारे। (III.) पैंशन वितरण में हो रही कठिनाईयों को दूर करने बारे।	(I.) कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक को सडक मुरम्मत के कार्य को तुरन्त करने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)* (II.) आयुक्त महोदय ने बताया कि नगर निगम, रोहतक के कर्मचारियों कि बायोमैट्रिक मशीन से Real Time Basis पर हाजरी लेने बारे टैण्डर किया जा चुका है। सफाई कर्मचारियों द्वारा जल्दी छुट्टी करने पर लिखित शिकायत मिलने की अवस्था में मुख्य सफाई निरीक्षक को तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त मुख्य सफाई निरीक्षक ने बताया कि बन्दर पकडने का ठेका दिया जा चुका है तथा ठेकेदार द्वारा 125 बन्दर पकडे भी जा चुके है। ठेकेदार द्वारा बन्दर पकडने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने बारे मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिये गये। *(सभी पार्षद तथा मुख्य /वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)* (III.) क्षेत्रीय कराधान अधिकारी को पैंशन वितरण का कार्य समय पर करने के लिए निर्देश दिये गये तथा ए.पी.आर संबधित कठिनाईयों को दूर करने के जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक को लिखा जाये। इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी संयुक्त आयुक्त के साथ पार्षदों, जिलासमाज कल्याण अधिकारी तथा बैंकप्रबन्धक बैठक करवाकर आगामी मास की पैन्शन वितरण से पूर्व समाधान करवाना सुनिश्चित करे। *(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक एंव जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	वार्ड नं0-18 :- (श्रीमति पूनम,पार्षद)	
	(I.) पार्कों में झूले लगवाने की तीन माह पूर्व दी गई सूचि पर कार्रवाई बारे।	(I.) अधीक्षक अभियंता, नगर निगम रोहतक को पार्कों में दिनांक 30.07.2014 तक झूले लगाने के निर्देश दिये। *(अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(II.) नालियो की रिपेयर का कार्य शुरू न होने बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम रोहतक ने बताया कि 10 दिन के अन्दर टैण्डर कर दिये जायेगे तथा इसके उपरांत 20 दिन में कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। *(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) बिजली के खंभे लगवाने एवं तार बदलवाने बारे।	(III.) अधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बताया कि रूट मैप की स्वीकृति हो चुकी है। कार्य 15 से 20 दिन के अन्दर-2 शुरू कर दिया जायेगा। *(अधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	वार्ड नं0-19 :- (श्री अनिल,पार्षद)	
	(I.) रोहतक शहर के सभी प्रवेश मार्गो के नगर निगम सीमा क्षेत्र पर स्वागत बोर्ड लगवाने बारे।	(I.) अधीक्षक अभियंता, नगर निगम रोहतक को रोहतक शहर के सभी प्रवेश मार्गो पर नगर निगम सीमा पर दिनांक 31.07.2014 तक स्वागत बोर्ड लगवाने हेतू निर्देश दिये। *(अधीक्षक अभियंता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(II.) छोटे एंव पैच वर्क करवाने बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता-। तथा।।, नगर निगम, रोहतक को पार्षदों की आवश्यकतानुसार छोटे एंव पैच वर्क आदि की सूचि पर एक माह के अन्दर पूरे करने के निर्देश दिये। इस संन्दर्भ में सभी पार्षद सीधे तौर पर अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक को भी कार्य करवाने हेतू लिखकर देंगे। केवल जनसुरक्षा एवं जनहित में अतिआवश्यक कार्य को पार्षद अपने स्तर पर भी करवा सकते है। इस संन्दर्भ में सम्बन्धित पार्षद द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरांत फोटो खींचकर अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक को बिल सत्यापित करके देना होगा ताकि नियमानुसार अदायगी बारे कार्रवाई की जा सके। *(सभी वार्ड पार्षद, अधीक्षक अभियंता ,कार्यकारी अभियंता-। तथा।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) जलापूर्ति के लिए पाईप लाईन बिछाने बारे।	(III.) कार्यकारी अभियंता (जलापूर्ति) जन स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता आधार पर पाईप लाईन का प्रबन्ध करने के निर्देश दिये। *(कार्यकारी अभियंता (जलापूर्ति) जन स्वास्थ्य विभागद्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(IV.) झज्जर रोड पर हुडा पार्क के रख रखाव बारे।	(IV.) पार्षद वार्ड नं0-19 ने बताया कि हुडा विभाग द्वारा दी गई RWA द्वारा पार्क के रख रखाव का कार्य उचित ढंग से नही किया जा रहा है। सहायक अभियंता, हुडा को निर्देश दिये कि वार्ड पार्षद के साथ पार्क के निरीक्षण उपरांत रख-रखाव के कार्य में कमी पाये जाने की अवस्था में RWA के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाये तथा वार्ड पार्षद द्वारा बनाई समिति को रख-रखाव करने का कार्य दिया जाये। *(कार्यकारी अभियंता (बागवानी), हुडा, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(V.) नगर निगम, रोहतक द्वारा 14 एक्स सर्विसमैन लगाये जाने बारे।	(V.) नगर निगम के सभी चार भवनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य एक्स सर्विसमैन लीग की मार्फत अन्य सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित दरों पर तीन मास के समय के लिए ट्रायल बेस पर रखा गया है। इनकी कार्यक्षमता/उपयोगिता के आधार पर आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा आगामी अवधि की बढोतरी बारे निर्णय लिया जायेगा। *(कार्यालय अधीक्षक नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	<u>वार्ड नं0-20 :- (श्रीमति लक्ष्मी,पार्षद)</u> (I.) वार्ड में स्टेडियम बनाने बारे।	(I.) कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि स्टेडियम बनाने के लिए लगभग 1.75 लाख रूपये का अनुमान तैयार कर दिया गया है। सरकार से स्वीकृति उपरांत शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। *(कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(II.) प्रीत विहार में पानी की लाईन बिछाने बारे।	(II.) कार्यकारी अभियंता (जलापूर्ति) जन स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रीत विहार में पानी की लाईन बिछाने हेतू बजट प्राप्त हो चुका है। इस कार्य को शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जायेगा। *(कार्यकारी अभियंता (जलापूर्ति) जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(III.) सामूदायिक केन्द्र बनाने बारे।	(III.) कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक को चिन्हित की गई जगह पर सामूदायिक केन्द्र बनाने के निर्देश दिये। *कार्यकारी अभियंता-II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*
	(IV.) नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे छुडवाने बारे।	(IV.) भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को नगर निगम की सभी सभी संपत्तियों से अवैध कब्जे छुडवाने के निर्देश दिये गये। *(भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)*

	(V.) सीवरेज सिस्टम पर कार्य प्रारंभ करने बारें।	(V.) कार्यकारी अभियंता (सीवर) जनस्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस कार्य के लिए टैण्डर दिनांक 20.06.2014 को खोले जायेंगें तथा 15 दिन बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ***(कार्यकारी अभियंता (सीवर) जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(VI.) व्यायामशाला बनाए जाने बारे।	(VI.) कार्यकारी अभियंता-II ने बताया कि व्यायामशाला के लिए जगह चिन्हित की जा चुकी है। शीघ्र कार्रवाई की जायेगी। ***(कार्यकारी अभियंता-।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)***
	(VII.) वार्ड 20 में अधिकतम कार्य अधूरे होने बारे।	(VII.) उपनिगम आयुक्त तथा अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक वार्ड पार्षद के साथ इस वार्ड के शेष विकास कार्यो का अवलोकन करने उपरांत दिनांक 31.07.2014 तक सभी कार्य पूरे करवाने सुनिश्चित करेंगे तथा विकास कार्यो की सूचि संबधित पार्षद को भी उपलब्ध करवाई जायें। ***(उपनिगम आयुक्त, अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक तथा पार्षद वार्ड नं0-20द्वारा कार्रवाई की जानी है)***

आयुक्त नगर निगम रोहतक ने सभी उपस्थित पार्षदों को अनुरोध किया कि नगर निगम तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को लिखित रूप में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-कम- नोडल आफिसर को दे ताकि उनका समयबद्व तरीके से निपटान/निदान करवाया जा सके। आयुक्त नगर निगम रोहतक ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-कम- नोडल आफिसर को निर्देश दिये कि पार्षदों से लिखित रूप में प्राप्त समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को संबधित विभागों को भिजवायें तथा रिपोर्ट लेकर पार्षदों को भी सूचित करें।

अधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली संबधित शिकायतो के लिए टोल फ्री नं0 1800-180-1615 तथा अधीक्षक अभियंता, अभियांत्रिकी, जन स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नं0 1800-180-5678 पर पानी तथा सीवर से संबधित शिकायतो बारे सभी पार्षदों को शिकायत दर्ज करवाने बारे अनुरोध किया।

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

दिनांकः 09.06.2014

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 0189 – 0193 दिनांक:09.06.2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिहं हुड्डा, सांसद, रोहतक लोक सभा क्षेत्र।
2. श्री शादी लाल बत्तरा, राज्य सभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिहं हुड्डा, विधान सभा सदस्य, गढी-सांपला किलोई।
4. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधान सभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमती शकुन्तला खटक, विधान सभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/0194-0199 दिनांकः 09.06.2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
5. सभी पार्षदगण, नगरनिगम, रोहतक।
6. निजि सहायक, आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 200-201 दिनांकः 09.06.2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि कृप्या अपने से संबधित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर दिनांक 30.06.2014 तक बिन्दूवाईज पालना रिपोर्ट नगर निग रोहतक के कार्यालय में भिजवायें ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सभी संबधित अधिकारी।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक